

जिला

झारखण्ड



सत्यमेव जयते

गजट

सरकार

द्वारा प्रकाशित

पाक्षिक संख्या : 05

रामगढ़ दिन : सोमवार
दिनांक 04.01.2016

समाहर्ता द्वारा निकाले गये भू-अर्जन संबंधी

अधिघोषणा

विषय सूची
अधिघोषणा

पृष्ठ संख्या 01

प्रपत्र VII

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्ता या समुचित सरकार
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

संख्या- 795/भू0अ0,

रामगढ़, दिनांक 29/12/2015

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा गोला चारु पथ के कि०मी० 8.10 में सेनेगढ़ा नाला पर उच्च स्तरीय पूल निर्माण हेतु ग्राम बेयांग, थाना रामगढ़, थाना सं० 167, अंचल रामगढ़, जिला रामगढ़ में कुल 0.17 एकड़ यानि 0.0688 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.17 एकड़ यानि 0.0688 हेक्टेयर है, और जो ग्राम बेयांग, थाना रामगढ़, थाना सं० 167, अंचल रामगढ़, जिला रामगढ़ में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (मूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	117	1460 अंश	रैयती	कृषि	0.09	रघुनन्दन तेली वो मोहन तेली वो काशी तेली वो बाबु तेली पिता काली तेली, चरण भगत वो दुर्गा भगत पिता बीकु भगत	सड़क	1460 अंश	1469	1459
2	117	1459 पूर्ण	रैयती	कृषि	0.03		सड़क	1458	1459	1456
3	117	1456 अंश	रैयती	कृषि	0.02		सड़क	1456 अंश	1459	1438
4	117	1438 अंश	रैयती	कृषि	0.03		सड़क	1438 अंश	1456	सड़क
कुल रकवा					0.17					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम संख्या-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है।

ह०/-

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
रामगढ़।

ह०/-

अपर समाहर्ता,
रामगढ़।

ह०/-

उपायुक्त,
रामगढ़